न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. मनोज तिवारी, (आर.जे.एस.)

नियमित फौजदारी प्र. संख्या : 2166/2018

सी.आई.एस.नम्बर : 2166/2018

राजस्थान राज्य

बनाम

सत्यवीर उर्फ मिथून पुत्र रामसुख मेघवाल निवासी छत्रपुरा, थाना सदर, जिला बून्दी --अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा-**8/27** एन.डी.पी.एस. एक्ट

उपस्थित:-

(1) अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

(2) श्री अनीस मोहम्मद, अधिवक्ता अभियुक्त।

:: निर्णय :: दिनांक: **07.04.2026**

1- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 13.02.2018 को अशोक कुमार उप निरीक्षक मय जाप्ता गिरिराज प्रसाद हैड कांस्टेबल, महेश कुमार कांस्टेबल, मनोज कुमार कांस्टेबल तथा अनुसंधान बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर आदि सामग्री के साथ प्राइवेट वाहन द्वारा थाना कोतवाली, बून्दी से समय 11:36 ए.एम. पर अवैध कार्य चैकिंग तथा गुण्डा-बदमाशों की रोकथाम हेतु गश्त पर रवाना हुए। अभियोजन कथनानुसार गश्त करते हुए वे बून्दी शहर पहुंचे तथा वापसी में बस स्टेण्ड से कोतवाली की ओर आते समय गोपाल सिंह प्लाजा चौराहा/रणजीत सर्किल टाकीज चौराहा, जहां जीप स्टैण्ड भी स्थित है, पर जीप की आड़ में एक व्यक्ति नीची गर्दन करके बैठा हुआ दिखाई दिया, जो कुछ पीता हुआ प्रतीत हुआ। संदेह होने पर उसे घेरकर यथास्थिति बैठा रहने की हिदायत दी गई तथा नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम सत्यवीर उर्फ मिथुन पुत्र रामसुख जाति मेघवाल निवासी तेजाजी का चौक, छत्रपुरा, थाना सदर, बून्दी बताया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहों की तलाश हेतु कांस्टेबल महेश कुमार को भेजा गया, किन्तु वह 10-15 मिनट पश्चात लौटकर आया और बताया कि कानूनी पेचीदगियों तथा अदालती चक्करों के कारण कोई स्वतंत्र व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। तब पुलिस जाप्ता में से महेश कुमार तथा मनोज कुमार को गवाह मामूर कर अभियुक्त की तलाशी ली गई, जिसमें उसके बायें हाथ में एक कागज का

पाइप, दाहिने हाथ में एक पन्नी, जिस पर काला पदार्थ लगा हुआ था जो कुछ-कुछ भूरा नजर आ रहा था, तथा जमीन पर माचिस की सात जली हुई तीलियां, एक साबुत तीली एवं एक माचिस की डिब्बी पड़ी मिली। सामग्री के संबंध में पूछने पर अभियुक्त ने स्वयं को स्मैक पीने का आदी बताते हुए वहीं बैठकर स्मैक का सेवन करना बताया। अभियुक्त से अनुज्ञापत्र चाहा गया तो उसके पास कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया गया। उक्त आधार पर स्मैक पीने के कथित उपकरणों को कपड़े की थैली में रखकर जब्त कर सीलबंद किया गया, फर्द जब्ती तैयार की गई, अभियुक्त को पृथक फर्द गिरफ्तारी से गिरफ्तार किया गया, थाना लौटकर प्रकरण क्रमांक 43/2018 अंतर्गत धारा 8/27 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीबद्ध किया गया तथा अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/27 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोप सुनाये जाकर समझाये गये, जिन्हें सुन-समझकर अभियुक्त ने अपराध से इंकार किया और विचारण चाहा।

2- अभियोजन द्वारा अपने मामले को सिद्ध करने हेतु पी.डब्ल्यू.-1 गिरिराज प्रसाद, पी.डब्ल्यू.-2 डॉ. डी.डी. मीणा, पी.डब्ल्यू.-3 रामराज, पी.डब्ल्यू.-4 सुनील कुमार, पी.डब्ल्यू.-5 महेश कुमार, पी.डब्ल्यू.-6 अशोक कुमार, पी.डब्ल्यू.-7 मनोज कुमार, पी.डब्ल्यू.-8 जयसिंह, पी.डब्ल्यू.-9 महावीर प्रसाद तथा पी.डब्ल्यू.-10 रामनाथ सिंह को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में फर्द जब्ती प्रदर्श पी-1, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-2, नक्शा मौका प्रदर्श पी-3, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी-4, एफ.एस.एल. कोटा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-5, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-6, धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना प्रदर्श पी-7, रोजनामचा नकलें प्रदर्श पी-8, प्रदर्श पी-9, प्रदर्श पी-10, चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-11, जयपुर प्रयोगशाला प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-12, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-13, रोजनामचा प्रति प्रदर्श पी-14, मालखाना रजिस्टर इन्द्राज प्रदर्श पी-15 एवं प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-15 ए, अन्य मालखाना इन्द्राज प्रदर्श पी-16 एवं प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-16 ए, एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी-17, अन्य अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-18, एफ.एस.एल. रसीद प्रदर्श पी-19, रोजनामचा प्रति प्रदर्श पी-20 तथा आपराधिक रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-21 को प्रदर्शित

कराया गया।

3- अभियुक्त को अपराध में फांसने वाली परिस्थितियों के स्पष्टीकरण हेतु उसके कथन अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये, जिनमें अभियुक्त ने अभियोजन के समस्त प्रतिकूल तथ्यों को असत्य बताया, स्वयं को निर्दोष होना कहा, यह कथन किया कि पुलिस ने झूठा मुकदमा बनाया है, उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है, तथा उसने प्रतिरक्षा में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

4- बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं होता है। प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है तथा समस्त गवाह पुलिसकर्मी हैं। गवाहों के कथनों में परस्पर विरोधाभास है। अभियुक्त से कोई वास्तविक स्मैक बरामद नहीं हुई है, केवल कथित उपकरण दिखाये गये हैं। कथित माचिस की तीलियां एवं डिब्बी जमीन पर पड़ी होना स्वयं अभियोजन गवाहों ने स्वीकार किया है। घटना स्थल अत्यंत भीड़-भाड़ वाला सार्वजनिक स्थान है, जहां मंदिर, दुकानें, पान की गुमटियां, जीप स्टैण्ड, विद्यालय और न्यायालय रोड होने की बात अभियोजन गवाहों ने स्वीकार की है, फिर भी कोई स्वतंत्र गवाह नहीं लिया गया। धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही नहीं की गई। सील, माल, अग्रेषण, रसीद एवं समय अंकन संबंधी गंभीर कमियां हैं। सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस ने थाने पर बैठकर बनावटी रूप से तैयार की है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5- इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन कहानी का समर्थन समस्त अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से होता है। अभियुक्त को संदिग्ध अवस्था में बैठा पाया गया, उसके पास स्मैक सेवन के उपकरण मिले, उसने स्वयं स्मैक सेवन करना स्वीकार किया, फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी, नक्शा मौका, मेडिकल रिपोर्ट, एफ.एस.एल. रिपोर्ट, मालखाना रजिस्टर, धारा 57 की सूचना तथा अग्रेषण पत्र आदि दस्तावेजों से अभियोजन मामला सिद्ध है। अभियोजन साक्ष्य परस्पर समर्थित है, अतः अभियुक्त के विरुद्ध

आरोप संदेह से परे प्रमाणित है और उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए।

6- उभय पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त सत्यवीर उर्फ मिथुन के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 8/27 एन.डी.पी.एस. एक्ट संदेह से परे सिद्ध हुआ है।

7- उपरोक्त बिंदु को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाहों को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन का संपूर्ण आधार इस बात पर टिका है कि अभियुक्त को वास्तव में मादक पदार्थ स्मैक का सेवन करते हुए पाया गया था और मौके की कार्यवाही इतनी विश्वसनीय है कि उस पर दोषसिद्धि आधारित की जा सके।

8- पी.डब्ल्यू.-1 गिरिराज प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुए कहा कि दिनांक 13.02.2018 को वह थाना कोतवाली बून्दी पर हैड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ था। उस दिन वह अशोक कुमार एस.आई., महेश कुमार कांस्टेबल एवं मनोज कुमार कांस्टेबल के साथ प्राइवेट जीप में अवैध कार्य चैकिंग एवं गुण्डा-बदमाशों की रोकथाम हेतु गश्त पर गया था। उसके अनुसार गोपाल सिंह प्लाजा चौराहा पर जीप की आड़ में एक व्यक्ति नीचे गर्दन किये बैठा था और कुछ पी रहा था। उस व्यक्ति का नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम सत्यवीर उर्फ मिथुन निवासी तेजाजी का चौक छत्रपुरा बताया। स्वतंत्र गवाहों की तलाश हेतु महेश कुमार को भेजा गया, जो लौटकर आया और बताया कि कोई स्वतंत्र गवाह तैयार नहीं हुआ। इसके बाद अभियुक्त की तलाशी लिये जाने पर उसके बायें हाथ में कागज का पाइप, दाहिने हाथ में पन्नी, जिस पर काले रंग का कुछ भूरा पदार्थ लगा था, तथा नीचे जली हुई सात तीलियां, एक साबुत तीली और खाली माचिस की डिब्बी मिलना बताया। इस गवाह ने यह भी कहा कि अभियुक्त ने बताया कि उसे स्मैक पीने की लत है और वह स्मैक पी रहा था। इसने फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-2 तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 की पुष्टि की। किन्तु जिरह में इस गवाह ने अनेक महत्वपूर्ण

स्वीकारोक्तियां कीं, जिनका अभियोजन के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसने स्पष्ट कहा कि रोजनामचा रपट में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि वे प्राइवेट वाहन जीप से गश्त के लिए निकले थे। जीप किसकी थी, उसका नंबर क्या था तथा चालक कौन था, यह उसे ज्ञात नहीं है। उसने यह माना कि घटना स्थल तिराहा है तथा वहां ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी रहती है। उसने यह भी स्वीकार किया कि घटना स्थल के पास दुकानें बनी हुई हैं, मंदिर बना हुआ है तथा सड़क के दूसरी ओर हायर सेकण्डरी स्कूल भी है। महेश कुमार गवाह तलाशने गया था और वह उन्हें मौके से नजर भी आ रहा था। अभियुक्त को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस नहीं दिया गया। वह जब्ती में गवाह नहीं था तथा जब्ती पर उसके हस्ताक्षर भी नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति यह है कि मुलजिम से कोई स्मैक बरामद नहीं हुई। माचिस की तीलियां भी मुलजिम से बरामद नहीं हुईं, बल्कि मुलजिम के सामने जमीन पर पड़ी हुई थीं। माल को थाना कोतवाली बून्दी की सील से सीलबंद किया गया था तथा जिस सील से माल सील किया गया, उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया; उसकी अलग फर्द बनी या नहीं, यह उसे ज्ञात नहीं है। इस प्रकार इस गवाह की जिरह अभियोजन के कथित बरामदगी कथानक, सील की सुरक्षा तथा मौके की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है।

9- पी.डब्ल्यू.-2 डॉ. डी.डी. मीणा ने कहा कि दिनांक 13.02.2018 को वह सामान्य चिकित्सालय बून्दी में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर कार्यरत था और उसने अभियुक्त सत्यवीर उर्फ मिथुन का ड्रग्स पीने से संबंधित चिकित्सकीय मुआयना किया था। उसने यह राय दी कि अंतिम निष्कर्ष रक्त नमूना एफ.एस.एल. भेजने एवं रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दिया जा सकेगा। उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 की पुष्टि की तथा पत्रावली में एफ.एस.एल. परिणाम में हेरोइन लिखा होना बताया। किन्तु जिरह में इस गवाह ने स्पष्ट कहा कि वह अभियुक्त को देखकर यह नहीं बता सकता था कि उसने हेरोइन की मात्रा ली थी या नहीं तथा कब से ली थी यह भी नहीं बता सकता। इस प्रकार यह गवाह कथित सेवन के समय, मात्रा या तात्कालिक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं करता। इससे केवल इतना ही

निकलता है कि मेडिकल परीक्षण हुआ, परन्तु डॉक्टर की प्रत्यक्ष चिकित्सकीय राय अभियोजन को निर्णायक सहारा नहीं देती।

10- पी.डब्ल्यू.-3 रामराज ने कहा कि दिनांक 27.02.2018 को वह थाना कोतवाली में कांस्टेबल के पद पर था। उस दिन मालखाना इंचार्ज महावीर प्रसाद ने उसे एक सीलबंद पैकेट तथा कागजात एफ.एस.एल. कोटा में जमा कराने हेतु दिये। वह एस.पी. कार्यालय गया, अग्रेषण पत्र जारी करवाया और फिर पैकेट एफ.एस.एल. कोटा में सीलबंद हालत में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर वापस मालखाना इंचार्ज को दे दी। इसने प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 को सिद्ध किया। किन्तु जिरह में उसने स्पष्ट कहा कि लिफाफा सीलबंद था और उसके अंदर क्या था यह उसे पता नहीं था। उस पर लगी मोहर किसकी थी, यह भी उसे आज याद नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि पैकेट की सामग्री और सील की निश्चित पहचान इस गवाह द्वारा स्थापित नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में अभियोजन की शृंखला साक्ष्य में एक महत्वपूर्ण कड़ी कमजोर पड़ती है।

11- पी.डब्ल्यू.-4 सुनील कुमार ने कहा कि दिनांक 13.02.2018 को वह थाना कोतवाली में कांस्टेबल के पद पर तैनात था और अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसे धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी को देने हेतु पत्र दिया गया था। वह पहले एस.पी. कार्यालय गया, वहां एस.पी. नहीं मिले, फिर उनके आवास पर जाकर बंद लिफाफा दिया और रिसीव लेकर वापस आया। इसने सूचना प्रदर्श पी-7, रवानगी प्रदर्श पी-8 और वापसी प्रदर्श पी-9 को सिद्ध किया। किन्तु जिरह में इसने स्वीकार किया कि उसे बंद लिफाफा दिया गया था, उसके भीतर क्या था यह उसे पता नहीं था। उसने यह भी कहा कि प्रदर्श पी-7 पर थाने की सील नहीं लगी हुई है। अतः धारा 57 की अनुपालना का दस्तावेजी औपचारिक पक्ष तो सामने आता है, पर उसकी सामग्री और प्रक्रिया की विश्वसनीयता निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं होती।

12- पी.डब्ल्यू.-5 महेश कुमार अभियोजन का एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष गवाह है। उसने कहा कि दिनांक 13.02.2018 को वह थाना कोतवाली बून्दी में कांस्टेबल था और अशोक कुमार एस.आई., गिरिराज प्रसाद तथा मनोज कुमार

के साथ प्राइवेट वाहन में समय 11:36 ए.एम. पर गश्त हेतु रवाना हुआ। उसके अनुसार गोपाल सिंह प्लाजा के पास जीप स्टैण्ड पर जीप की आड़ में एक व्यक्ति नीचे गर्दन करके बैठा था और कुछ पी रहा था। उसे स्वतंत्र गवाह तलाशने हेतु मौखिक आदेश देकर भेजा गया, परन्तु 15 मिनट बाद लौटकर उसने बताया कि कानूनी पेचीदगी और आपसी रंजिश के कारण कोई स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद अभियुक्त की तलाशी में एक कागज का पाइप, दाहिने हाथ में एक पन्नी तथा जमीन पर सात जली तीलियां, एक साबुत तीली और एक माचिस की डिब्बी मिलना बताया। इसने कहा कि अभियुक्त ने स्वयं कहा कि उसे स्मैक पीने की लत है और वह उसका सेवन कर रहा था। इसने फर्द जब्ती प्रदर्श पी-1, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-2, नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 तथा रोजनामचा प्रति प्रदर्श पी-10 को सिद्ध किया। किन्तु जिरह में इसने स्वीकार किया कि रोजनामचे में यह कहीं इन्द्राज नहीं है कि वे एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही करने जा रहे थे। घटना स्थल रिहायशी इलाका है, तिराहा है, जीप स्टैण्ड है और वहां काफी लोग आते-जाते रहते हैं। धारा 50 की कार्यवाही मौके पर नहीं की गई। माचिस की तीलियां तथा माचिस की डिब्बी जमीन पर पड़ी हुई थीं। उसने कहा कि नक्शे मौके में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया तथा सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं। उसने यह भी कहा कि कार्यवाही पर थाने की कोई सील नहीं लगी। यह गवाही अभियोजन के मूल कथानक को पुष्ट करने के साथ-साथ उसकी गंभीर कमियों को भी उजागर करती है।

13- पी.डब्ल्यू.-6 अशोक कुमार, जो कि मुख्य जब्ती अधिकारी तथा प्रथम पुलिस अधिकारी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि दिनांक 13.02.2018 को वह थाना कोतवाली बून्दी में एस.आई. पद पर पदस्थ था और उस दिन महेश कांस्टेबल, मनोज कांस्टेबल आदि के साथ प्राइवेट वाहन से अवैध कार्य चैकिंग एवं गुण्डा-बदमाशान हेतु समय 11:36 ए.एम. पर रवाना हुआ। उसके अनुसार रणजीत सर्किल टाकीज चौराहा/जीप स्टैण्ड के पास एक व्यक्ति जीप की आड़ में रोटरी क्लब की साइड नीची गर्दन करके बैठा था। उसने महेश को स्वतंत्र गवाह हेतु भेजा, पर कोई गवाह नहीं मिला। इसके बाद तलाशी में अभियुक्त

के बायें हाथ में कागज का पाइप, दायें हाथ में पन्नी जिस पर काला/भूरा पदार्थ था तथा जमीन पर सात जली हुई तीलियां, एक साबुत तीली और माचिस पड़ी हुई मिलना बताया। अभियुक्त ने स्वयं को स्मैक का आदी बताया और कहा कि वह स्मैक पी रहा था। इसने फर्द जब्ती प्रदर्श पी-1, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-2 तथा चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-11 को सिद्ध किया। किन्तु जिरह में इस गवाह ने स्वीकार किया कि वह प्राइवेट वाहन से गया था, वाहन का नंबर उसे याद नहीं है, घटना स्थल बहता हुआ रोड है, कलेक्ट्री रोड एवं न्यायालय रोड चौराहा है, आसपास पान की बॉडियां हैं, जीप स्टैण्ड है तथा वहां गांव के लोग भी आते-जाते हैं। माचिस की डिब्बी और तीलियां जमीन पर गिरी हुई थीं। उसने लिखा-पढ़ी से किसी को नहीं भेजा, बल्कि महेश को केवल मौखिक आदेश से स्वतंत्र गवाहों की तलाश हेतु भेजा। उसकी जिरह से यह स्पष्ट है कि कथित कार्यवाही एक अत्यंत सार्वजनिक स्थल पर हुई, परंतु स्वतंत्र गवाह का न होना, वास्तविक पदार्थ की बरामदगी का अभाव, और जमीन पर पड़ी वस्तुओं का अभियुक्त से संबंध स्थापित न हो पाना अभियोजन के विरुद्ध जाता है।

14- पी.डब्ल्यू.-7 मनोज कुमार ने भी मुख्य परीक्षण में अभियोजन का समर्थन किया और कहा कि वह दिनांक 13.02.2018 को अशोक कुमार एस.आई. एवं महेश कुमार के साथ गश्त पर गया था। उसने भी यही कथन दोहराया कि अभियुक्त जीप की आड़ में बैठा था, महेश स्वतंत्र गवाह लाने गया पर कोई नहीं मिला, बाद में तलाशी में बायें हाथ में कागज का पाइप, दायें हाथ में पन्नी तथा जमीन पर सात जली हुई तीलियां, एक साबुत तीली एवं माचिस मिली। इसने फर्द जब्ती प्रदर्श पी-1, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-2 तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 के संबंध में कथन किया। किन्तु जिरह में इसने कहा कि सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस वालों ने की और इसमें कोई स्वतंत्र गवाह पुलिसकर्मी के अलावा नहीं है। घटना स्थल बहता हुआ रोड है तथा जीप स्टैण्ड पास में है। इस गवाह ने एक महत्वपूर्ण भिन्न कथन यह भी किया कि एक माचिस की डिब्बी अभियुक्त के हाथ में थी और खाली डिब्बियां नीचे गिरी हुई थीं, जबकि अन्य गवाह सामान्यतः माचिस की डिब्बी जमीन पर होना बताते हैं। यह विरोधाभास भले देखने में छोटा

प्रतीत हो, परन्तु जिस प्रकरण में वास्तविक मादक पदार्थ की बरामदगी ही नहीं है और पूरा मामला ऐसे उपकरणों पर टिका है, वहां इस प्रकार की विसंगतियां महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं।

15- पी.डब्ल्यू.-8 जयसिंह ने कहा कि दिनांक 27.02.2018 को मालखाना इंचार्ज ने उसे प्रकरण क्रमांक 43/2018 का सीलबंद पैकेट प्रयोगशाला जयपुर में जमा कराने हेतु दिया। वह एस.पी. कार्यालय बून्दी गया, वहां से कागजात तैयार करवाकर जयपुर पहुंचा और पैकेट सीलबंद स्थिति में जमा कराया। इसने प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-12, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-13 तथा रोजनामचा रवानगी प्रदर्श पी-14 सिद्ध की। किन्तु जिरह में इसने स्पष्ट कहा कि लिफाफा उसे सीलबंद दिया गया था और उसके अंदर क्या था, यह उसे याद नहीं है। प्रदर्श पी-12 पर समय का अंकन नहीं है, प्रदर्श पी-13 पर समय का अंकन नहीं है, प्रदर्श पी-14 पर भी समय का अंकन नहीं है तथा प्रदर्श पी-13 पर एस.पी. कार्यालय की कोई सील अंकित नहीं है। इस प्रकार पैकेट की श्रृंखला, समयबद्धता और आधिकारिकता के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है।

16- पी.डब्ल्यू.-9 महावीर प्रसाद, जो मालखाना इंचार्ज था, ने कहा कि दिनांक 13.02.2018 को अशोक कुमार ने उसके समक्ष एक सीलशुदा कपड़े की थैली, जिसमें पीने के उपकरण मार्क ‘ए’ थे, प्रस्तुत की, जिसे उसने मालखाना रजिस्टर में दर्ज कर मालखाना में जमा कर लिया। उसने कहा कि दिनांक 27.02.2018 को मार्क ‘ए’ को एफ.एस.एल. जयपुर हेतु जयसिंह को भेजा गया तथा दिनांक 21.02.2018 को सामान्य चिकित्सालय बून्दी से प्राप्त एक सीलशुदा लिफाफा मार्क ‘बी’ को एफ.एस.एल. कोटा हेतु रामराज को भेजा गया। इसने प्रदर्श पी-15, प्रदर्श पी-15 ए, प्रदर्श पी-16 तथा प्रदर्श पी-16 ए सिद्ध किये। किन्तु जिरह में इस गवाह ने स्वीकार किया कि उसे पैकेट और लिफाफे सीलबंद अवस्था में दिये गये थे, उसने उन्हें खोलकर नहीं देखा, इसलिए वह नहीं बता सकता कि उनके अंदर क्या था। मालखाना रजिस्टर पर थाने की कोई सील नहीं लगी हुई। इस साक्ष्य से यह तो सिद्ध होता है कि कुछ सीलबंद पैकेट मालखाना में दर्ज हुए, परन्तु उन्हीं पैकेटों की सामग्री वही थी जो मौके से मिली, इसे यह गवाह

प्रत्यक्ष रूप से नहीं बता सका।

17- पी.डब्ल्यू.-10 रामनाथ सिंह, जो तत्कालीन थानाधिकारी थे, ने कहा कि दिनांक 13.02.2018 को अशोक कुमार अभियुक्त और माल सहित उसके समक्ष उपस्थित हुआ, जिस पर उसने फर्द जब्ती पर कार्यवाही पुलिस अंकित की, तफतीश प्रारम्भ की, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये, महेश कुमार की निशानदेही से नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 बनाया, धारा 57 की सूचना प्रदर्श पी-7, एफ.एस.एल. कोटा हेतु अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-6, रसीद प्रदर्श पी-5, एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी-17, जयपुर हेतु अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-13 एवं प्रदर्श पी-18, रसीद प्रदर्श पी-12, एफ.एस.एल. रसीद प्रदर्श पी-19, रोजनामचा नकलें प्रदर्श पी-8, पी-9, पी-10, पी-14, पी-20, मालखाना रजिस्टर की प्रतियां प्रदर्श पी-15 ए, पी-16 ए तथा मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 को पत्रावली में शामिल किया। उसने कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/27 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाकर आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया। किन्तु जिरह में उसने स्वीकार किया कि नक्शा मौके का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, सभी गवाहों के बयान थाने पर लिये गये थे तथा घटना स्थल भीड़-भाड़ वाला इलाका है। जब कोई मामला सार्वजनिक स्थल की बरामदगी और मौके की तत्काल कार्यवाही पर आधारित हो, तब गवाहों के बयान थाने पर लिये जाना, स्वतंत्र गवाह का अभाव, और नक्शा मौके में स्वतंत्र व्यक्ति का नहीं होना अभियोजन संस्करण की विश्वसनीयता को कम करता है।

18- अब अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समेकित परीक्षण किया जाता है। अभियोजन का मूल कथन यह है कि अभियुक्त को मौके पर स्मैक का सेवन करते हुए पाया गया, उसने स्वयं सेवन स्वीकार किया, तथा उसके पास से स्मैक पीने के उपकरण प्राप्त हुए। किन्तु जैसे ही साक्ष्य को सूक्ष्म दृष्टि से परखा जाता है, अभियोजन के इस मूल कथन में अनेक ऐसी कमियां, असंगतियां एवं संदेहजनक परिस्थितियां उभरकर सामने आती हैं, जो इसे दोषसिद्धि का सुरक्षित आधार नहीं रहने देतीं। न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन का पूरा ढांचा वास्तविक मादक पदार्थ की स्पष्ट, निर्विवाद

और सुरक्षित बरामदगी पर आधारित नहीं है, बल्कि केवल कथित उपकरणों, कथित मौखिक स्वीकारोक्ति और पुलिसकर्मियों के बयानों पर आधारित है। ऐसे मामलों में न्यायालय को साक्ष्य का और अधिक कठोर परीक्षण करना पड़ता है, क्योंकि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं और दोषसिद्धि का परिणाम भी अत्यंत कठोर होता है। अतः अभियोजन से अपेक्षा होती है कि वह न केवल घटना का मूल संस्करण, बल्कि उससे जुड़ी प्रत्येक प्रक्रिया को भी संदेह से परे सिद्ध करे।

19- अभियोजन के मामले की सबसे गंभीर कमजोरी यह है कि किसी भी गवाह ने अभियुक्त के कब्जे से वास्तविक मादक पदार्थ की स्पष्ट बरामदगी सिद्ध नहीं की। पी.डब्ल्यू.-1 गिरिराज प्रसाद ने जिरह में स्पष्ट स्वीकार किया कि मुलजिम से कोई स्मैक बरामद नहीं हुई। यह स्वीकारोक्ति साधारण नहीं है, बल्कि अभियोजन के मूलाधार को प्रभावित करती है। यदि अभियोजन यह कहता है कि अभियुक्त स्मैक का सेवन करते हुए पकड़ा गया, तो सामान्यतया न्यायालय यह अपेक्षा करता है कि या तो वास्तविक मादक पदार्थ की कुछ मात्रा, अवशेष या उपयोग की ऐसी विशिष्ट सामग्री उपलब्ध हो जो सेवन को वस्तुनिष्ठ रूप से जोड़ सके। यहां केवल एक पन्नी पर काला/भूरा पदार्थ लगा होना बताया गया है, एक कागज का पाइप बताया गया है, और माचिस की तीलियां/डिब्बी का उल्लेख है। इन वस्तुओं से मात्र संदेह उत्पन्न हो सकता है, पर जब तक इन्हें विधिवत और निर्विवाद रूप से अभियुक्त से जोड़ा न जाए तथा उनकी प्रकृति स्पष्ट न हो जाए, तब तक इनसे अपराध संदेह से परे सिद्ध नहीं होता।

20- यह भी उल्लेखनीय है कि कथित बरामद वस्तुओं की स्थिति स्वयं विवादरहित नहीं है। अनेक गवाहों ने कहा कि माचिस की तीलियां और माचिस की डिब्बी जमीन पर पड़ी हुई थीं। पी.डब्ल्यू.-5 ने भी यही कहा। पी.डब्ल्यू.-6 अशोक कुमार ने भी जिरह में स्वीकार किया कि माचिस की डिब्बी और तीलियां जमीन पर गिरी हुई थीं। जबकि पी.डब्ल्यू.-7 मनोज कुमार ने आंशिक भिन्न कथन करते हुए कहा कि एक माचिस की डिब्बी अभियुक्त के हाथ में थी और खाली डिब्बियां नीचे गिरी हुई थीं। जब अभियोजन का मामला पहले से ही वास्तविक

स्मैक की बरामदगी के बिना केवल इन उपकरणों पर आधारित हो, तब इस प्रकार की भिन्नता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि कथित उपयोग की सामग्री की स्थिति ही गवाहों द्वारा एक समान रूप से नहीं बताई जा रही, तो यह न्यायालय के लिए संदेह का कारण बनती है कि क्या वस्तुतः घटना उसी प्रकार घटी थी, जैसा अभियोजन प्रस्तुत कर रहा है।

21- घटना स्थल की प्रकृति भी अभियोजन के विरुद्ध जाती है। अभियोजन गवाहों ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह स्थान गोपाल सिंह प्लाजा चौराहा/रणजीत सर्किल क्षेत्र का सार्वजनिक स्थल था, जहां जीप स्टैण्ड था, पान की गुमटियां थीं, मंदिर था, सड़क के दूसरी ओर विद्यालय था, न्यायालय रोड एवं कलेक्ट्री रोड का क्षेत्र था, ट्रैफिक पुलिस की उपस्थिति भी रहती थी और लोगों का आवागमन लगातार बना रहता था। ऐसे स्थल पर जमीन पर पड़ी माचिस, तीलियां या अन्य वस्तुओं का पाया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। यदि अभियोजन इन वस्तुओं को अभियुक्त के विशिष्ट उपयोग से जोड़ना चाहता था, तो उसे या तो स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी, या अधिक सुनिश्चित परिस्थितिजन्य साक्ष्य, या बेहतर वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया। जब कथित वस्तुएं खुले सार्वजनिक स्थल से संबंधित हों, तब उनके अभियुक्त से विशिष्ट संबंध का मानक और अधिक कठोर हो जाता है। अभियोजन इस मानक को पूरा नहीं कर पाया।

22- स्वतंत्र गवाहों का अभाव इस मामले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थिति है। न्यायालय यह मानता है कि केवल इस आधार पर कि गवाह पुलिसकर्मी हैं, उनकी साक्ष्य को स्वतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पुलिसकर्मी भी सक्षम गवाह होते हैं। किन्तु यह सिद्धांत तब लागू होता है जब उनकी साक्ष्य अन्यथा स्वाभाविक, संगत, त्रुटिरहित और परिस्थितियों से पुष्ट हो। वर्तमान मामले में स्वयं अभियोजन गवाहों ने माना है कि घटना स्थल सार्वजनिक था, भीड़भाड़ वाला था, लोग आते-जाते थे, निकट ही दुकानें, मंदिर और स्टैण्ड था। ऐसी स्थिति में यह कथन कि कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अभियोजन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि

किन व्यक्तियों से कहा गया, किसने मना किया, क्यों मना किया, और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। केवल सामान्य रूप से 'कानूनी पेचीदगी' या 'अदालती चक्कर' कह देना इस कमी को दूर नहीं करता। स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति यहां इसलिए और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पूरा मामला पुलिस कथनों पर आधारित है और बरामदगी स्वयं विवादास्पद है।

23- धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट की अनुपालना न होना भी अभियोजन के लिए प्रतिकूल परिस्थिति है। पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-5 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि धारा 50 का नोटिस/कार्यवाही नहीं की गई। यद्यपि प्रत्येक मामले में धारा 50 की लागू होने की सीमा अलग-अलग तथ्यपरक प्रश्न हो सकती है, फिर भी जब अभियोजन स्वयं यह कह रहा है कि अभियुक्त की तलाशी ली गई और उसके हाथों/कब्जे/समीप से सामग्री पाई गई, तब विधिक सुरक्षा उपायों की अनुपालना जांच की विश्वसनीयता को अत्यधिक बल देती। इन औपचारिकताओं का अभाव अभियोजन के समग्र मामले को प्रभावित करता है, विशेषकर तब जब अन्य साक्ष्य भी पूर्णतया भरोसेमंद नहीं हैं। न्यायालय यह नहीं कहता कि मात्र धारा 50 की कमी से ही अभियोजन विफल हो जाता है, परंतु वर्तमान मामले में यह कमी अन्य कमियों के साथ मिलकर संदेह को गहरा करती है।

24- सील, पैकेट, मालखाना और एफ.एस.एल. को भेजी गई सामग्री की शृंखला भी संदेह से परे स्थापित नहीं हुई। पी.डब्ल्यू.-1 ने कहा कि जिस सील से माल सीलबंद किया गया, उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। उसकी अलग फर्द बनी या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। यह तथ्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि जब्त सामग्री की पहचान और उसकी अखंडता सील से ही सुनिश्चित होती है। यदि सील नष्ट कर दी गई, तो उसके सुरक्षित संरक्षित रहने और बाद में तुलना योग्य बने रहने की प्रक्रिया अस्पष्ट हो जाती है। वाहक गवाह पी.डब्ल्यू.-3 रामराज और पी.डब्ल्यू.-8 जयसिंह दोनों ही पैकेट की भीतरी सामग्री नहीं बता सके। वे सील की निश्चित पहचान भी नहीं बता सके। पी.डब्ल्यू.-8 ने तो यह भी स्वीकार किया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर पैकेट भेजा गया, उन पर समय का अंकन नहीं

है और अग्रेषण पत्र पर एस.पी. कार्यालय की सील भी नहीं है। पी.डब्ल्यू.-9 महावीर प्रसाद, जो मालखाना इंचार्ज था, उसने भी कहा कि उसे पैकेट सीलबंद मिले थे, उसने उन्हें खोलकर नहीं देखा। ऐसी स्थिति में यह कड़ी सुरक्षित और निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं होती कि जो वस्तु मौके से जब्त हुई वही बिना किसी छेड़छाड़ के प्रयोगशाला तक पहुंची।

25- मेडिकल साक्ष्य भी अभियोजन को वह निर्णायक समर्थन नहीं देता, जिसकी उससे अपेक्षा थी। पी.डब्ल्यू.-2 डॉक्टर डी.डी. मीणा ने कहा कि उसने अभियुक्त का मुआयना किया, रक्त नमूना लिया और बाद की राय एफ.एस.एल. रिपोर्ट मिलने पर दी जा सकती थी। किन्तु जिरह में उसने स्पष्ट कहा कि वह अभियुक्त को देखकर यह नहीं बता सकता था कि उसने हेरोइन ली थी या नहीं, और यदि ली थी तो कब से ली थी। इसका अर्थ यह है कि कथित मौके के सेवन का प्रत्यक्ष चिकित्सकीय समर्थन उपलब्ध नहीं है। यदि अभियोजन का मूल आरोप यही है कि अभियुक्त उसी समय वहीं बैठकर स्मैक का सेवन कर रहा था, तो यह अपेक्षित था कि चिकित्सकीय साक्ष्य कम से कम उस कथन को पर्याप्त बल प्रदान करे। वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ। एफ.एस.एल. परिणाम का औपचारिक अस्तित्व अपनी जगह है, परन्तु वह मौके की प्रत्यक्ष परिस्थिति को अपने आप सिद्ध नहीं करता, जब तक बाकी शृंखला और परिस्थितियां निर्विवाद न हों।

26- गवाहों के कथनों में जो आंतरिक असंगतियां हैं, वे भी अभियोजन की विश्वसनीयता को कम करती हैं। किसी गवाह को जब्ती पर अपने हस्ताक्षर नहीं होना याद है, कोई गवाह कहता है कि माचिस जमीन पर थी, कोई हाथ में थी। प्राइवेट वाहन का कथन सब करते हैं, पर न वाहन का नंबर ज्ञात है, न स्वामी, न चालक। रोजनामचा में भी प्राइवेट वाहन का स्पष्ट विश्वसनीय उल्लेख नहीं है। कुछ दस्तावेजों पर समय नहीं है, कुछ पर सील नहीं है। इन विरोधाभासों को अलग-अलग देखने पर भले वे छोटे लगें, किन्तु सामूहिक रूप से देखने पर वे अभियोजन संस्करण की निरंतरता और स्वाभाविकता को कमजोर करते हैं। आपराधिक मामलों में विशेषकर तब, जब कोई स्वतंत्र पुष्टिकरण नहीं हो, ऐसे

विरोधाभासों का प्रभाव बढ़ जाता है।

27- अनुसंधान की प्रकृति भी इस न्यायालय को पूर्ण संतोष नहीं दे पाती। पी.डब्ल्यू.-10 रामनाथ सिंह ने स्वीकार किया कि सभी गवाहों के बयान थाने पर लिये गये। नक्शा मौके में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। यदि घटना वास्तव में सार्वजनिक स्थल पर घटित हुई थी और मौके पर तत्काल कार्यवाही हुई थी, तो स्वाभाविक अपेक्षा यह थी कि कम से कम मौके के निरीक्षण, नक्शा और प्रारंभिक कथनों में अधिक निष्पक्षता और स्वतंत्रता परिलक्षित होती। परन्तु यहां जांच के प्रत्येक स्तर पर पुलिस कर्मियों का ही वर्चस्व है और कोई बाह्य पुष्टिकरण उपलब्ध नहीं है। इससे यह संभावना बल पाती है कि जांच में आवश्यक सावधानियां नहीं बरती गईं या कम से कम इतनी पारदर्शिता नहीं रखी गई कि न्यायालय निश्चिंत होकर दोषसिद्धि कर सके।

28- अभियोजन ने अभियुक्त की कथित मौखिक स्वीकारोक्ति पर भी काफी निर्भरता दिखाई है कि उसने स्वयं कहा कि उसे स्मैक पीने की लत है और वह स्मैक पी रहा था। किन्तु ऐसी कथित मौखिक स्वीकारोक्ति, जो केवल पुलिस गवाहों द्वारा कही जा रही हो, और जिसका कोई स्वतंत्र समर्थन न हो, स्वयं में पर्याप्त नहीं मानी जा सकती, विशेषकर तब जब वास्तविक पदार्थ की बरामदगी, सामग्री की स्थिति, सील की श्रृंखला और चिकित्सकीय समर्थन सभी संदेहास्पद हों। न्यायालय ऐसे कथन को तभी महत्व दे सकता है जब वह अन्य विश्वसनीय परिस्थितियों से पुष्ट हो। वर्तमान मामले में ऐसा पुष्टिकरण पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है।

29- समस्त परिस्थितियों का सम्मिलित प्रभाव यह है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एक अखंड, सुसंगत और निश्चयात्मक श्रृंखला निर्मित नहीं करते। इसके विपरीत, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री यह दर्शाती है कि अभियोजन कहानी में कई ऐसे रिक्त स्थान हैं जिन्हें अनुमानों से भरा नहीं जा सकता। न्यायालय अभियोजन की उस अपेक्षा को स्वीकार नहीं कर सकता कि केवल पुलिसकर्मियों के परस्पर सामान्य समर्थन को ही पर्याप्त मान लिया जाए, जबकि उसी साक्ष्य में वास्तविक पदार्थ की बरामदगी का अभाव, सार्वजनिक स्थल से

जुड़ी वस्तुओं की अस्पष्ट स्थिति, स्वतंत्र गवाहों का न होना, धारा 50 की अनुपालना न होना, सील और अग्रेषण की कमियां, तथा चिकित्सकीय अनिर्णायकता जैसी गंभीर परिस्थितियां भी मौजूद हों।

30- आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना होता है। अभियुक्त को दोषमुक्ति प्राप्त करने के लिए अपना निर्दोष होना सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता। यदि रिकॉर्ड पर ऐसा यथार्थ, तर्कसंगत और पर्याप्त संदेह उत्पन्न हो जाए जिससे अभियोजन संस्करण पूर्ण रूप से विश्वसनीय न रह जाए, तो उस संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना विधि का तकाजा है। वर्तमान प्रकरण में उत्पन्न संदेह काल्पनिक या कृत्रिम नहीं, बल्कि अभियोजन के अपने गवाहों की जिरह, दस्तावेजों की कमियों और प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों से उपजा वास्तविक संदेह है।

31- अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त सत्यवीर उर्फ मिथुन के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 8/27 एन.डी.पी.एस. एक्ट संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

## :: आदेश ::

32- परिणामस्वरूप अभियुक्त सत्यवीर उर्फ मिथून पुत्र रामसुख मेघवाल निवासी छत्रपुरा, थाना सदर, जिला बून्दी को अपराध अन्तर्गत धारा 8/27 एन.डी.पी.एस. एक्ट में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

अभियुक्त को धारा 437 ए दं.प्र.सं. के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् छः माह की अवधि के लिए दस हजार रूपये के जमानत मुचलके प्रस्तुत करने बाबत ओदशित किया जाता है।

(डॉ. मनोज तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)

33- निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)